Schedule XLII-High Court (J) 19[old (M)164]

अनुमन्डल न्यायालय–असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णियाँ, बिहार

समक्ष– सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

स्वत्व वाद सं.– 08/2019 सी.आई.एस.क्र.– 08/2019

चन्द्र किशोर सिंह एवं अन्य बनाम घनश्याम चांद एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
25.05.2026	वादी सं0 2 की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजरी है। प्रतिवादीगण अनुपस्थित हैं। यह वाद वादी सं0 1 के विधिक वारिसान की ओर से प्रस्तुत आदेश – 22, नियम – 3 दिवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन दिनांक 27.02.2026 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन को संचालित कर वादी सं0 1 के विधिक वारिसान के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि इस वाद के वादी सं0 1 चन्द्र किशोर सिंह की मृत्यु दिनांक 02.01.2026 को हो गयी है जो अपने पीछे अपनी दो पत्नी ललिता देवी, लक्ष्मी देवी, एक पुत्र सुरज कुमार तथा दो पुत्री शिवानी सिंह एवं माधवी कुमारी को छोड़कर मरे हैं। अतः निवेदन है कि वाद से वादी सं0 1 का नाम विलोपित कर उनके विधिक वारिसान को प्रतिस्थापित करने की कृपा की जाये। प्रतिवादीगण इस वाद में अनुपस्थित हैं। वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि इस वाद के वादी सं0 1 चन्द्र किशोर सिंह की मृत्यु दिनांक 02.01.2026 को हो गयी है तथा वादी के द्वारा उनके विधिक वारिसान को प्रतिस्थापित कराये जाने हेतु आवेदन दिनांक 27.02.2026 को दिया गया है जो नियत समयावधि के भीतर है। चूंकि वादी सं0 1 की दो पत्नी है जिस कारण से वादी सं0 1 की द्वितीय पत्नी इस वाद में आवश्यक पक्षकार नहीं है। अतः न्यायहित में वादी की ओर से प्रस्तुत दिनांक 27.02.2026 के प्रतिस्थापन आवेदन को इस निर्देश के साथ **स्वीकृत** किया जाता है कि आवेदक सूरज कुमार, पुत्र स्व0 चन्द्र किशोर सिंह अपने पिता की पहली पत्नी के संबंध में घोषणा पत्र प्रस्तुत करें तत्पश्चात वादी सं0 1 का नाम वाद पत्र से विलोपित कर वादी सं0 1 की पहली पत्नी एवं उनके पुत्र एवं पुत्रीगण को वाद में प्रतिस्थापित करें। वाद आगामी दिनांक .... वास्ते उपस्थिति। हस्ताक्षर ह0/– अ.सै.न्यायाधीश वरीय कोटि बनमनखी, पूर्णियाँ	